

विकास आयुक्त का कार्यालय  
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र  
भारत सरकार  
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई -400096

सीपज़-सेज़ /सीआइआर/71/घाट VI/2010/7867

दिनांक : 14.05.2015

### परिपत्र सं.04

विषय : सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र ( विकास आयुक्त कार्यालय के गेट से भिन्न )में प्रवेश के लिए विभिन्न प्रकार के स्थायी तथा दैनिक गेट पासों के जारी किए जाने की क्रियाविधि ।

दिनांक 29.4.2015 तथा दिनांक 01.5.2015 के परिपत्र संख्या 2 तथा 3 में निर्धारित क्रियाविधि में आंशिक आशोधन किया गया है, अतः निम्नलिखित व्यापक गाइड लाइन्स क्रियाविधि दिनांक 15.5.2015 से प्रभावी होंगे । यह परिपत्र सं. 2 तथा 3 के अधिकरण में है ।

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीमाशुल्क बंधित क्षेत्र होने के कारण, क्षेत्र के अंदर तथा क्षेत्र के बाहर वस्तुओं का संचालन निर्धारित क्रियाविधि के संवदत अनुपालन के अधीन है । व्यक्तियों /वाहनों का प्रवेश/निकास भी प्रतिबंधित है जिसका नियंत्रण सीपज़ सुरक्षा विंग द्वारा गेट पास जारी करके किया जाता है । सीपज़ -सेज़ कॉलेक्स के अंदर वैध प्रवेश पास के बिना पाए जाने वाले व्यक्तियों /वाहनों के विरुद्ध न केवल अतिचार कार्रवाई की जा सकती है बल्कि लागू विधि के अन्य उपबंधों के अधीन भी कार्रवाई की जा सकती है ।

1. गेट पास सिस्टम प्रत्येक दिन (रविवार को छोड़कर ) प्रातः 8 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक खुला रहेगा ।
2. दैनिक गेट पास सिस्टम प्रातः 8.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक खुला रहेगा । हाथ से जारी किए गए पास व्यक्तिगत मामलों के आधार पर सहायक सुरक्षा अधिकारी / सुरक्षा प्रभारी से प्राप्त किए जा सकते हैं ।
3. गेट पास के लिए 12.30 बजे तक प्राप्त किए जानेवाले अनुरोधों पर ही कार्रवाई की जाएगी तथा उसी दिन गेट पास सुपूर्द किए जाएंगे । तथापि जिन गेट पासों के लिए 12.30 बजे के बाद अनुरोध प्राप्त होंगे, वे अगले कार्य दिवस को सुपूर्द किए जाएंगे ।
4. गेट पास काउंटर पर गेट पास सुपूर्दगी का समय 3.00 बजे से 6.00 बजे तक रहेगा ।
5. सीपज़ सेज़ प्राधिकरण निधि, मुंबई के पक्ष में पे ऑर्डर / डीडी बनाने के लिए गेट नं. 1 पर स्थित सुरक्षा अनुभाग से यूनिट को बिल की प्रति सौंपी जाएगी ।

6. डी डी /पे ऑर्डर / बैंकर्स चेक के प्राप्त होने पर यूनिटों को गेट पास सुपूर्द किए जाएंगे । वैकल्पिक रूप से यूनिट अग्रिम भुगतान करके जमाशेष का हिसाब रख सकते हैं । ऐसी स्थिति में संगत विलों के साथ ही गेट पास सुपूर्द किए जाएंगे ।

आवेदनों तथा दस्तावेजों , कलर सिस्टम्स तथा गेट पास शुल्कों के संबंध में क्रियाविधि :

क्रमांक	गेट पास का विवरण	प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेज	कागज का कलर	दिनांक 01.5.2015 से प्रभावी गेट पास शुल्क
1 (क)	आगंतुकों के लिए दैनिक गेट पास	यूनित अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरिए आवेदन करेंगे तथा सीपज सेज सुरक्षा के अनुमोदन के बाद वाइट कागज पर इसका प्रिंट लेंगे ।	वाइट	निःशुल्क
1 (ख)	मजदूर (विक्रेता) के लिए दैनिक गेट पास	यूनित अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरिए आवेदन करेंगे तथा सीपज सेज सुरक्षा का अनुमोदन किलने पर लाइट ग्रीन कागज पर इसका प्रिंट लेंगे ।	लाइट ग्रीन	निःशुल्क
1 (ग)	मजदूर (विनिर्माता ) के लिए दैनिक गेट पास	यूनित अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरिए आवेदन करेंगे तथा सीपज सेज सुरक्षा का अनुमोदन किलने पर लाइट ब्लू कागज पर इसका प्रिंट लेंगे ।	लाइट ब्लू	i) गेट पास तक (निःशुल्क) ii ) इसके पश्चात जारी किए जाने वाले प्रत्येक पास के लिए 5 रु
1 (घ)	सनसिटी होटल के वाहन के साथ अथवा वाहन के बीना आने वाले अतिथियों के लिए दैनिक गेट पास	यूनित अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरिए ( व्यापार ) प्रतिनिधि के रूप में उनके लिए आवेदन करेंगे तथा सीपज सेज सुरक्षा का अनुमोदन किलने पर इसका पिक कागज पर प्रिंट लेंगे । यूनित एक दिन के गेट पास पर रजिस्टर्ड कार का नंबर भी दर्शाएंगे ।	पिक	निःशुल्क
2	वाहन के साथ आने वाले आगंतुकों के लिए एक दिन का गेट पास	1. यूनित अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरिए ( व्यापार ) प्रतिनिधि के रूप में उनके लिए आवेदन करेंगे तथा सीपज सेज सुरक्षा का अनुमोदन किलने पर इसका पिक कागज पर प्रिंट लेंगे । यूनित एक दिन के गेट पास पर रजिस्टर्ड कार का नंबर भी दर्शाएंगे ।	पिक	निःशुल्क
3	15 दिनों के लिए गेट पास	यूनित अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरिए आवेदन करेंगे तथा साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करेंगे : - 1) आवेदन की हार्डकापी 2) आवेदन पर स्टैम्प साइज का एक फोटो चिपकाया जाएगा जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो ।	क्वाइट	30 रु
4	6 महीने के लिए गेट पास	यूनित अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरिए आवेदन करेंगे तथा साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करेंगे : - 1) आवेदन की हार्डकापी 2) आवेदन पर स्टैम्प साइज का एक फोटो चिपकाया जाएगा जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो ।	आइटी तथा हार्डवेयर के लिए ग्रीन स्ट्रीप और ज्वेलरी के लिए शीले	75 रु

5	एक साल के लिए गेट पास	यूनित अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरीए आवेदन करेंगे तथा साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करेंगे :- 1) आवेदन की हार्डकापी 2) आवेदन पर स्टैम्प साइन का एक फोटो चिपकाया जाएगा जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो।	आइटी तथा हार्डवेयर 150 रु. के लिए डार्क ब्राउन और ज्वेलरी के लिए डार्क पिंक
6	3 साल के लिए गेट पास	यूनित अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरीए आवेदन करेंगे तथा साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करेंगे :- 1) आवेदन की हार्डकापी 2) आवेदन पर स्टैम्प साइन का एक फोटो चिपकाया जाएगा जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो।	आइटी तथा हार्डवेयर 250 रु. के लिए और ज और ज्वेलरी के लिए नैवी ब्लू
7 (क)	उपयोगी सेवाएँ अर्थात् एमटीएनएल, डाक पर , रिलायंस एनर्जि, टाटा पावर, टाटा टेली सर्विसेस, सीडबल्यूसी, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, एमआइडीसी तथा उनके कर्मचारी (6 महीनों के लिए)	सेवा प्रदाता निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 1) आवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो :- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) जन्म -तिथि (घ) पता (ङ) दो पासपोर्ट साइजफोटो 2) पुलिस सत्यापन /वैध पासपोर्ट ( सरकारी / सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को छोड़कर ) 3) प्रभारी सुरक्षा ( संयुक्त विकास आयुक्त)से अनुमति पत्र ;	ब्राउन स्ट्रीप्स 150 रु.
(ख)	श्रम सविदाकार के लिए उपयोगी सेवाएँ (6 महीनों के लिए)	सेवा प्रदाता / सविधाकार निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को आवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो :- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) जन्म -तिथि (घ) पता (ङ) दो फोटो 2) सविधा / कारर / कार्य आदेश कि प्रतिलिपि 3) पुलिस सत्यापन/वैध पासपोर्ट	ब्राउन स्ट्रीप्स 150 रु
(ग)	7 (क) तथा 7 (ख) में उल्लिखित उपयोगी सेवाओं के लिए एक दिन का गेट पास	सेवा प्रदाता निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 1) आवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो :- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) आयु 2) पारी प्रभारी / गेट प्रभारी का अनुमोदन	व्हाइट निःशुल्क
(घ)	सफाई सविदाकार/ कचरा सविदाकार (6 महीने के लिए )	सफाई सविदाकार / कचरा सविदाकार निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को आवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो :- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) जन्म तिथि (घ) पता ( ङ) दो फोटो 2) सविदा /कारर/कार्य आदेश की प्रतिलिपि 3) पुलिस सत्यापन /वैध पासपोर्ट 4) बीएमसी लाइसेन्स	ब्राउन स्ट्रीप्स 150 रु

(5)	<p>कूरियर सेवा (6 महीनों के लिए)</p>	<p>कूरियर सेवाएँ निम्नलिखित दरस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को आवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो :- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) जन्म तिथि (घ) पता (ङ) दो फोटो 2) मान्यताप्राप्त कूरियर कंपनी से प्राधिकार पत्र 3) पुलिस सत्यापन /वैध पासपोर्ट 4) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित यूनिट का सिफारिशी पत्र ।</p>	<p>ब्राउन स्टीप्स 150 रु</p>
8 (क)	<p>विक्रेता ( फ्रेट फोर्वाडर सहित ) (1 साल के लिए)</p>	<p>1) विक्रेता निम्नलिखित दरस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- सुरक्षा अधिकारी को आवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो :- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) जन्म तिथि (घ) पता (ङ) दो फोटो 2) संविदा /कारर/कार्य आदेश की प्रतिलिपि 3) पुलिस सत्यापन /वैध पासपोर्ट 4) बीएमसी लाइसेन्स 5) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित यूनिट का सिफारिशी पत्र ।</p>	<p>फुल स्काइ ब्लू 600 रु</p>
(ख)	<p>टिफिन सप्लायर्स से क्लिन्ग बल्क सप्लाइ करने वाले बाहरी कंटेर्स</p>	<p>बाहरी कंटेर्स निम्नलिखित दरस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को आवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो :- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) जन्म तिथि (घ) पता (ङ) दो फोटो 2) संविदा /कारर/कार्य आदेश की प्रतिलिपि 3) पुलिस सत्यापन /वैध पासपोर्ट 4) बीएमसी लाइसेन्स 5) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित यूनिट का सिफारिशी पत्र ।</p>	<p>फुल स्काइ ब्लू 600 रु</p>
(ग)	<p>संविदा/ बस ड्राइवर / क्लीनर / मालिक पास (6 महीनों के लिए)</p>	<p>बस संविदाकार निम्नलिखित दरस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को आवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो :- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) जन्म तिथि (घ) पता (ङ) दो फोटो 2) संविदा /कारर/कार्य आदेश की प्रतिलिपि 3) पुलिस सत्यापन /वैध पासपोर्ट 4) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित यूनिट का सिफारिशी पत्र ।</p>	<p>ब्लैक स्टीप 600 रु</p>
9 (क)	<p>मालिकों / कर्मचारियों / कामगारों / रस्टाफ के दुरुहियों के प्रवेश/निकास के लिए रिट्कर</p>	<p>यूनिट निम्नलिखित दरस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को विधार्जित फॉर्मट में आवेदन 2) आर सी बुक की प्रतिलिपि जिसमें उनके स्वयं के /उनके पिता के /उनकी माता के अथवा उनकी पत्नी के नाम वाहन का स्वामित्व हो । 3) आर टी ओ ट्रान्सफर सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि (दूसरे राज्य का वाहन होने पर ) 4) वैध पीयूसी सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि 5) वैध बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि</p>	<p>वार्शिक आधार पर कालर में परिवर्तन किया जाएगा 200 रु (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए )</p>
(ख)	<p>मालिकों / कर्मचारियों /कामगारों /स्टाफ के कारों के प्रवेश/निकास के लिए रिट्कर</p>	<p>यूनिट निम्नलिखित दरस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को निर्धारित फॉर्मट में आवेदन 2) आर सी बुक की प्रतिलिपि जिसमें उनके स्वयं के /उनके पिता के /उनकी माता के अथवा उनकी पत्नी के नाम वाहन का स्वामित्व हो ।</p>	<p>वार्शिक आधार पर कालर में परिवर्तन किया जाएगा 500 रु (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए )</p>

(ग) प्रवेश /निकास के लिए टी वाहन गेट पास	राज्य का वाहन होने पर ) 4) शैथ पीयूसी सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि 5) शैथ बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि संविदाकार /वाहन मालिक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 6) सुरक्षा अधिकारी को निर्धारित फॉर्मट में आवेदन 7) आर सी बुक की प्रतिलिपि जिसमें उनके स्वयं के /उनके पिता के /उनकी माता के अथवा उनकी पत्नी के नाम वाहन का स्वामित्व हो । आर टी ओ ट्रान्सफर सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि (दूसरे राज्य का वाहन होने पर ) 8) दुरुस्ती प्रमाणपत्र 9) शैथ पी यू सी प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि 10) शैथ बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि 1) यूनितों से प्राधिकार -पत्र जिसमें कर्मचारियों तथा उनके गेट पास नंबरों के विवरण दिए गए हैं शैथ टी -परमिट सर्टिफिकेट	वार्षिक आधार पर कलर में परिवर्तन किया जाएगा	500 रु (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए )
(घ) प्रवेश/निकास के लिए बस स्टिकर	संविदा बस के / मालिक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को निर्धारित फॉर्मट में आवेदन 2) आर सी बुक की प्रतिलिपि जिसमें उनके स्वयं के /उनके पिता के /उनकी माता के अथवा उनकी पत्नी के नाम वाहन का स्वामित्व हो । आर टी ओ ट्रान्सफर सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि (दूसरे राज्य का वाहन होने पर ) 3) दुरुस्ती प्रमाणपत्र 4) शैथ पीयूसी प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि 5) शैथ बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि 6) यूनितों से प्राधिकार -पत्र जिसमें कर्मचारियों तथा उनके गेट पास नंबरों के विवरण दिए गए हैं 7) शैथ टी - परमिट सर्टिफिकेट	वार्षिक आधार पर कलर में परिवर्तन किया जाएगा	5000 रु (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए )
10(क) यूनित के वाणिज्यिक वाहन ( केवल मालवाही वाहनों ) के प्रवेश /निकास के लिए स्टिकर	संविदा बस के / मालिक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को निर्धारित फॉर्मट में आवेदन 2) आर सी बुक की प्रतिलिपि जिसमें उनके स्वयं के /उनके पिता के /उनकी माता के अथवा उनकी पत्नी के नाम वाहन का स्वामित्व हो । आर टी ओ ट्रान्सफर सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि (दूसरे राज्य का वाहन होने पर ) 3) दुरुस्ती प्रमाणपत्र 4) शैथ पीयूसी प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि 5) शैथ बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि 6) यूनितों से प्राधिकार -पत्र जिसमें कर्मचारियों तथा उनके गेट पास नंबरों के विवरण दिए गए हैं 7) शैथ टी - परमिट सर्टिफिकेट	वार्षिक आधार पर कलर में परिवर्तन किया जाएगा	500 रु (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए )
(ख) वाणिज्यिक वाहनों केवल मालवाही वाहनों के प्रवेश /निकास के लिए राशि : अनुमति	यूनित निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा प्रभारी ( संयुक्त विकास आयुक्त ) से अनुमति 2) वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्राप्त किए गए स्टिकर अथवा उपर्युक्त पैरा संख्या 10 ( क ) में उल्लिखित संशुद्धि दस्तावेज	वार्षिक आधार पर कलर में परिवर्तन किया जाएगा	2000 रु (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए )

- माजदूर ( विनिर्माण) के लिए क्रमांक 1 ( ग ) में उल्लिखित प्रभार दिनांक 15.5.2015 से प्रभावी होंगे । दिनांक 29.4.2015 के परिपत्र संख्या 02 के अनुसार क्रमांक 1 तथा 2 में उल्लिखित अन्य कोटियों के लिए यूनिटों द्वारा दिनांक 14.5.2015 तक भुगतान किए गए अन्य प्रभार यूनिटों के लेखे में जमा कर दिए जाएंगे ।
- क्रमांक 3,4 तथा 9 ( क ) में उल्लिखित कोटियों के लिए प्रभार दिनांक 01.05.2015 से प्रभावी होंगे । दिनांक 29.4.2015 के परिपत्र संख्या 02 के अनुसार यूनिटों द्वारा दिनांक 14.5.2015 तक भुगतान किए गए अतिरिक्त प्रभारों को उनके लेखे में जमा कर दिया जाएगा ।
- 2. अन्य अनुमतियां :

(क) पुलिस अधिकारियों / कर्मियों का प्रवेश

i) इस क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों का प्रवेश प्रतिबंधित है । तथापि निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कारण जानने पर इसके लिए उनको अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. नाम तथा पदनाम
2. आइ कार्ड नं
3. स्थान जहां जाना चाहते हैं
4. जाने का प्रयोजन

ii) गेट प्रभावी इयूटी पर आनेवाले पुलिस अधिकारी/कर्मों को यूनिट तक ले जाने के लिए साथ में सुरक्षा रक्षक को भेजना । इस कार्य के लिए नाभित सुरक्षा रक्षक पुलिस अधिकारी/ कर्मों के साथ तक रहेगा जब तक कि वह परिसर से बाहर न चला जाए ।

(ख) सरकारी/अर्ध सरकारी अधिकारी/कर्मचारी

सीप्ज - सेज में आनेवाले सरकारी/अर्ध सरकारी अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रभावी सुरक्षा (संयुक्त विकास आयुक्त ) से पूर्व अनुमति लेनी होगी । विकास आयुक्त कार्यालय के गेट पास काउंटर से उन्हें विशिष्ट गेट पास जारी किया जाएगा ।

(ग) गेट प्रभावी ऑटो रिक्शा /टैक्सियों पर सवार विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रवेश करने की अनुमति देंगे :-

- i) यूनिट सरकारी अस्पताल से यह प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें संबंधित व्यक्ति के वास्तविक रूप में विकलांग होने को प्रमाणित किया गया हो ।
- ii) ऑटो रिक्शा /टैक्सी में केवल विकलांग व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी ।
- iii) यूनिट अपने प्रतिनिधि को प्रवेश के समय ऑटो रिक्शा के साथ इस्काईट करने के लिए भेजेगा जो रिक्शा में विकलांग व्यक्ति के न होने पर भी भेज गेट तक जाएगा ।
- iv) यदि उपर्युक्त में कोई उल्लंघन होता है, तो अनुमति रद्द की जा सकती है ।

(घ) रात्रि पारी अनुमति

रात्रि पारी के दौरान कार्य करने वाले कर्मचारियों को विशेष अनुमति लेने की जरूरत नहीं है । तथापि यूनिट को सुरक्षा अधिकारी / प्रभावी गेट नं 1 को निम्नलिखित फॉर्मेट में सूचना अवश्य भेजनी है :-

यूनिट का नाम		
दिनांक	कर्मचारी का नाम	यूनिट का नाम
क्रमांक	कर्मचारी का नाम	सीप्ज आइडी नं
		वाहन पंजीकरण नं / वाहन टाइप

केवल उन्हीं स्थायी गेट पासधारकों को रात्रि पारी के दौरान सीप्ज के अंदर प्रवेश करने की अनुमति है जिनके बारे में उपर्युक्त फॉर्मेट में सुरक्षा अधिकारी को सूचना भेजी गई हो । सीप्ज - सेज रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 5.30 बजे के बीच प्रवेश करते समय उनके लिए गेट नं 1 पर रखे रजिस्टर में प्रविष्टि करना आवश्यक होगा ।

(ड) सर्वर के खराब होने पर हाथ से गेट पास जारी करना

1. सर्वर के खराब होने पर परी प्रभारी / सहायक सुरक्षा अधिकारी द्वारा निम्नानुसार हाथ से गेट पास जारी किए जाएंगे :-

यूनिट निम्नलिखित फॉर्मेट के अनुसार अपने नेटर हेड पर अपने प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरि आगंतुकों / मजदूर ( विक्रेता ) / मजदूर ( विनिर्माण ) / सनसिटी होटल अतिथि की सूची प्रस्तुत करेंगे ।

i ) आगंतुकों के लिए

क्रमांक	व्यक्ति का नाम जिसको पास जारी किया जाना हो	आगमन का उद्देश्य

ii ) मजदूर ( विक्रेता ) के लिए

क्रमांक	मजदूर का नाम जिसको पास जारी किया जाना हो	विक्रेता का नाम	विक्रेता का लाइसेन्स नं.	विक्रेता का पता तथा टेलीफोन	कार्य की प्रकृति

iii) मजदूर ( विनिर्माण ) के लिए

क्रमांक	मजदूर का नाम जिसको पास जारी किया जाना है	संविदाकार का नाम	संविदाकार का लाइसेन्स नं.	संविदाकार का पता तथा टेलीफोन	कार्य की प्रकृति

iv) सनसिटी होटल के अतिथि के लिए

क्रमांक	अतिथि का नाम	यूनिट का संदर्भ	इडवर का नाम	वाहन संख्या

v) वाहन के साथ आने वाले आगंतुकों के लिए

क्रमांक	व्यक्ति का नाम जिसको पास जारी किया जाना है	इडवर का नाम	वाहन संख्या	आगमन का उद्देश्य

- उपर्युक्त सूची के प्राप्त होने पर, समान संख्या हाथ से बनाए गए दो प्रतियों में गेट पास यूनिट को जारी किए जाएंगे । यूनिट सूची में घोषित किए गए विवरण भर देंगे ।
- आगंतुक / मजदूर ( विक्रेता ) / मजदूर ( विनिर्माण ) / सनसिटी होटल के अतिथि प्रवेश के समय इयूटी पर तैनात सुरक्षा रक्षक को डुब्लिकेट गेट पास सँडर करेंगे ।
- निकास के समय इयूटी पर तैनात सुरक्षा रक्षक को मूल गेट पास सँडर किया जाएगा ।
- एक दिन के निःशुल्क गेट पास की सुविधा का दुरुपयोग किया जाना पूर्णतः निषिद्ध है । यदि कोई यूनिट क्रमांक 1 ( क ), 1 ( ख ), तथा 2 के अंतर्गत उल्लिखित गेट पासों का दुरुपयोग मजदूरों के अंदर आने के मामले में करता हुआ पाया जाता है, तो उसको दंडित किया जाएगा जिसमें क्रमांक 1 ( क ) से लेकर 1 ( ग ) तथा 2 के अंतर्गत गेट पास कोटियों के निःशुल्क गेट पास की सुविधा का वापस लिया जाना शामिल है ।

(च) एक दिन के गेट पास पर मुहर लगाना ।

- आगंतुकों / कर्मचारियों के प्रवेश के समय सुरक्षा स्टाफ एक दिन के गेट पास पर रद्दकरण की मुहर लगाएंगे।
- एक दिन का गेट पास केवल यूनिट अथवा समान कंपनी के सहयोगी यूनिटों के लिए वैध है । एक दिन के गेट पासधारक को सीन्ज के अंदर इधर -उधर घूमने की अनुमति नहीं है । कोई भी व्यक्ति जो इस अनुदेश का पालन नहीं करेगा, के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है । इस कार्रवाई के अंतर्गत काली सूची में नाम डालना भी शामिल है ।

### 3. नियम तथा विनियम :

#### (क) समय :-

- i) एक दिन का गेट पास जारी किए जाने के समय से केवल आठ घंटे तक के लिए वैध है। तथापि एक दिन के गेट पास धारक को रात्रि के 11.00 बजे के बाद सीपज - सेज में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें पारी प्रभासी /गेट नं 1 के प्रभासी से विशेष अनुमति ली गई हो।
- ii) सनसिटी होटल के अतिथि को एक दिन के लिए जारी किए जाने वाले गेट पास जारी किए जाने के समय से 24 घंटे के लिए ही वैध रहेंगे। ऐसे सभी पास वैधता अवधि के दौरान अनेक बार प्रवेश करने तथा निकास के लिए वैध रहेंगे।
- iii. किसी भी वाहन /व्यक्ति को जेन के अंदर 12.00 बजे (अर्ध रात्रि) से लेकर प्रातः 5.30 बजे तक के बीच नहीं आने दिया जाएगा जबतक कि इसके लिए प्रभासी सुरक्षा (संयुक्त विकास आयुक्त) से विशेष अनुमति न ली गई हो।
- iv. वाहनों (ट्रकों /टम्पो) जिनमें कि आयात तथा निर्यात से संबंधित कन्साइनमेंट से शिन्ना सामग्रियां/वस्तुएं हों, को सायं 6 बजे के बाद अंदर नहीं आने दिया जाएगा।
- v. कचरा संविदागत मजदूरों को जेन के अंदर 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे के बीच रहने दिया जाएगा।
- vi. सफाई संविदागत मजदूरों को जेन के अंदर प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक ही रहने दिया जाएगा।

#### (ख) गेट पासों का सरेंडर किया जाना/यो जाना।

- i) यूनिट गेट पासों की वैधता अवधि के समाप्त होने/कर्मचारी की सेवा समाप्त होने/कर्मचारी के त्याग पत्र देने पर गेट पास तत्काल गेट पास काउंटर पर सरेंडर करेंगे। गेट पासों के सरेंडर न किए जाने पर 1000 रु प्रति गेट पास की दर से अर्थाद लनाया जाएगा जो संबंधित यूनिट से वसूल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यूनिट के प्रबंधन को ऐसे समाप्त गेट पासों के दुरुपयोग किए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- ii) कचरा संविदाकार / सफाई संविदाकार को भी कचरा संविदा के समाप्त होने पर उनके कर्मचारियों को जारी किए गए गेट पास सरेंडर करने होंगे। वैधता अवधि के बाद गेट पास के दुरुपयोग किए जाने /गेट पासों के सरेंडर न किए जाने पर प्रतिगेट पास 5,000 रु की दर से अर्थाद लनाया जाएगा जो संविदाकार की प्रतिभूति जमा में से वसूल जाएगा। संविदाकार मजदूरों द्वारा गेट पासों के दुरुपयोग किए जाने के लिए जिम्मेदार होगा।
- iii) गेट पास/कार स्टीकर /दुपरिया स्टीकर के खो जाने के दशा में क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन में इसके लिए एक आइ आर दर्ज कराई जाए तथा इसकी मूल प्रति सीपज सुरक्षा को इन्लिकेट गेट पास /कार स्टीकर /दुपरिया स्टीकर जारी किए जाने हेतु आवेदन के साथ 100 रु के नॉन जुडीशियल स्टैप पेपर को तथाय के शपथ - पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए।
- iv) गेट पास के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए जाने अथवा किसी प्रकार के दुरुपयोग किए जाने पर सीपज प्रशासन द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है तथा कार्रवाई भी की जा सकती है।

#### (ग) वाहनों का प्रवेश


- i) सीपज - सेज सुरक्षा द्वारा बसों /कारों / दुपरियों के लिए जारी किए गए स्टिकर फ्रंट साइड पर चिपकाए जाएं। के बाएं हाथ के सबसे ऊपरी कोने पर चिपकाया जाए ताकि प्रवेश/निकास के समय यह आसानी से देखा जा सके।
- ii) सीपज - सेज सुरक्षा द्वारा दुपरियों के लिए जारी किए गए स्टिकर फ्रंट साइड पर चिपकाए जाएं।
- iii) यूनिट यह सुनिश्चित करेंगे कि संविदा की बसें विश्वसनीय संविदाकार से किराए पर ली जाएं। यूनिट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संविदाकार सीपज - सेज प्राधिकरण के नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करें।
- iv) यूनिट यह सुनिश्चित करेंगे कि बस ड्राइवर तथा क्लीनर वाहन से नहीं उतरेंगे तथा संविदा की बसें अंतिम यात्री के बस के उतरने के 10 मिनट के अंदर क्षेत्र के बाहर चली जाएं।



- v) कार दुपहियों के मालिक अपनी कार /दुपहिए में बिना वैध पास अप्राधिकृत व्यक्तिपर्य को अंदर नहीं लाएंगे। क्रियाविधि का उल्लंघन करने पर अर्थदंड / गेट /कार /दुपहिए स्टिकरों को समाप्त करने सहित विनियामक कार्रवाई भी की जा सकती है।
- vi) बस मालिक /ऑपरटर को संबंधित यूनिट द्वारा प्रमाणित घोषणा सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी जिसमें प्रत्येक यूनिट के फेरे के समय का उल्लेख किया गया हो।
- vii) कॉन्लेक्स के अंदर बसों को घोना /साफ करना सख्त मना है।
- viii) केवल ऐसी यूनिटों को ही सविदा बसों की सुविधा के लिए अनुमति दी जाएगी जिनमें कम से कम 20 कर्मचारी हों। ऐसे यूनिट जोन में स्थित अन्य यूनिटों के कर्मचारियों को पूलकर सकते हैं वशर्त आवेदक यूनिट अन्य यूनिटों से पत्र लेकर प्रस्तुत करें। बस में चढ़ने का स्थान एक ही रहेगा।
- ix) संबंधित यूनिट यह सुनिश्चित करेंगे कि जब कभी वाहन ऑपरटर के साथ सविदा - व्यवस्था समाप्त हो, तो वह सीपज़ - सेज सुरक्षा को इसकी तत्काल सूचना दे।
- x) कॉन्लेक्स के अंदर हार्न बजाना ,रेप रिफॉर्डर चलाना अथवा अन्य कोई वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति नहीं है।
- xi) वाहन मालिक जोन के अंदर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से ही वाहन चलाएंगे। यदि 20 किलो मीटर प्रति घंटे की गति - सीमा का उल्लंघन किया जाता है, तो वाहन के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। संबंधित यूनिट जिसने वाहन लिया है, से यदि कोई दुर्घटना होती है, तो उसके लिए यूनिट को जिम्मेदार माना जाएगा। बसों को सेटर रोड पर यू - टर्न लेने की अनुमति नहीं है।
- xiii) टैक्सियां तथा ऑटो रिक्शाओं जिनको विधिवत अनुमति दी गई है, को छोड़कर जोन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वाहनों में इंगोर्ट कार्गो सहित अन्य कार्गो लाए जाते हैं, तो यूनिट को गेट से ऐसे कार्गो को अंदर ले जाने की व्यवस्था करनी होगी।

#### (ख) वाहनों की पार्किंग

- i) एसडीएफ बिल्डिंगों /जेम तथा उर्वरसी बिल्डिंगों के निकट चार पहियों /दुपहियों की पार्किंग के लिए अलग से स्थान उपलब्ध कराए गए हैं। संबंधित यूनिट की यह जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उनके कर्मचारी इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थान पर ही अपने वाहन पार्क करें। यदि वाहन निर्धारित स्थान पर पार्क नहीं किया जाता है तथा इससे मालों को दुगुनाई तथा कर्मचारियों को आने-जाने में असुविधा होती है, तो इसके लिए 500 रु प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
- ii) किसी वाहन को रात्रि अर्थात 12.00 बजे से प्रातः 5.30 बजे तक के दौरान (केवल उन यूनिटों तथा उनके कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने इस परिपत्र के पैरा -2 (डी ) के अनुसार सूचना दी हो ) पार्क किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि जोन में उक्त अवधि के दौरान कोई वाहन पार्क किया गया पाया जाता है, तो इसके लिए 500 रु प्रतिदिन की दर से अर्थदंड लगाया जाएगा।

( पी. एस. रामन )  
  
 संयुक्त विकास आयुक्त  
 सीपज़ - सेज

#### प्रतिलिपि :

- 1) सीपज़ - सेज में स्थित सभी यूनिट
- 2) चेंबरमैन , सीमा, सीपज़ - सेज
- 3) भ्रसिडेंट , एसजी तथा जेएमए, सीपज़ - सेज
- 4) रिजलल ज़ायरेक्टर , 100% ईओयू तथा सेज के लिए इंपीसी , सीपज़ -सेज
- 5) प्रबंधक , सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया , सीपज़ -सेज
- 6) प्रबंधक , भारतीय स्टेट बैंक , सीपज़ - सेज
- 7) प्रबंधक , पंजाब नेशनल बैंक , सीपज़ -सेज
- 8) प्रबंधक , बैंक ऑफ इंडिया , सीपज़ -सेज
- 9) प्रबंधक , (ओबीयू ) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया , सीपज़ -सेज ++
- 10) प्रबंधक, (ओबीयू ) आइसीआइसीआइ बैंक , सीपज़ ++
- 11) प्रबंधक म स्टेट बैंक ऑफ पटियाला , सीपज़ ++
- 12) सभी एटीएम , सीपज़ -सेज

